Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 50–2023] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 12, 2023 (AGRAHAYANA 21, 1945 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 दिसम्बर, 2023

संख्या 1308–कृषि अनुभाग (1)–2023/9283.— हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) की धारा 43 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा कृषि उपज मण्डी (सामान्य) नियम, 1962 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा कृषि उपज मण्डी (सामान्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा कृषि उपज मण्डी (सामान्य) नियम, 1962 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में,–

(i) उप–नियम (1) में, "खुली नीलामी" शब्दों से पूर्व, ",सरकारी अभिकरणों द्वारा खरीद के मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य को छोड़कर," चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप–नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(8) ज्योंही ढेर के लिए नीलामी पूरी होती है, तो नीलामीकर्ता या सरकारी अभिकरणों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की दशा में, समिति का प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, प्ररूप ज में अनुरक्षित पुस्तक में सम्बन्धित ब्यौरे भरेगा तथा खरीददार तथा विक्रेता दोनों या उनके सम्बन्धित प्रतिनिधियों, जो भी स्थल पर उपस्थित हो, के हस्ताक्षर सुनिश्चित करेगाः

परन्तु सब्जी तथा फल व्यवहारी को प्ररूप ज के रजिस्टर की बजाए मुण्डी बही में नीलामी नोट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा तथा मुण्डी बही को कम से कम सौ पृष्ठों की पुस्तक या उसके बहुविध में पृष्ठांकित, उचित रूप में बांधा जाएगा तथा उसके प्रथम तथा अन्तिम पृष्ठ को समिति के सचिव या इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, मोहर लगाई जाएगी तथा दिनांकित किया जाएगा।"।

3. उक्त नियमों में, प्ररूप ज में, "नीलामी रजिस्टर" शीर्ष के स्थान पर, "सरकारी अभिकरणों या निजी खरीददार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा बिक्री/खरीद का रिकार्ड" शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सुधीर राजपाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT

Notification

The 5th December, 2023

No. 1308-Agri. Sec.(1)-2023/ 9283.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) read with sub-section (2) of section 43 of the Haryana Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Punjab Act 23 of 1961), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Agricultural Produce Markets (General) Rules, 1962, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Agricultural Produce Markets (General) Second Amendment Rules, 2023.

2. In the Haryana Agricultural Produce Markets (General) Rules, 1962, (hereinafter called the said rules), in rule 24,-

(i) in sub-rule (1), after the words "open auction", the words and sign "except on minimum support price in case of procurement by Government agencies," shall be inserted;

(ii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) As soon as the auction for a lot is over, the auctioneer or in case of procurement on minimum support price by Government agencies, the representative of the Committee, as the case may be, shall fill in the relevant particulars in a book to be maintained in Form H and shall secure the signatures of both the buyer and the seller or their respective representatives, whoever may be present at the spot:

Provided that the vegetable and fruit dealer shall be allowed to note down the auction in Mundi Bahi instead of register in Form H and the Mundi Bahi shall be paged, properly bounded in a book of at least one hundred pages or multiple thereof and the first and last page thereof shall be signed, stamped and dated by the Secretary of the Committee or any other official authorised by him in this behalf.".

3. In the said rules, in FORM H, for the heading "Auction Register", the heading "Record of sale/purchase by Government agencies or private purchaser" shall be substituted.

SUDHIR RAJPAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Agriculture and Farmers Welfare Department.

10734—C.S.—H.G.P., Pkl.